उत्तरांचल शासन वित्त अनुभाग–3

संख्या 640/वि0अनु0-3/2002 देहरादून : <u>दिनांक 18 दिसम्बर, 2002</u>

कार्यालय ज्ञाप

विषय: राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को मंहगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त अनुभाग—3, उत्तरांचल शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 414/वि0 अनु0—3/2002, दिनांक 29 मई, 2002 के द्वारा मंहगाई राहत की एक किस्त 01 जनवरी, 2002 से स्वीकृत की गयी थी, के क्रम में श्री राज्यपाल ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपमोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01 जनवरी, 2002 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जुलाई, 2002 से मंहगाई राहत की एक और किस्त 03 प्रतिशत (तीन प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। तद्नुसार दिनांक 01 जुलाई, 2002 से राहत की दर बढ़कर 52 प्रतिशत हो गई है।

2—मंहगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये से गुणांक में आंगणित होगी, उसे अगले रुपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3—यह आदेश न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4-यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5-शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 ए-1-252/ दस-10(3)-81, दिनांक 07 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत मंहगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

Government of Uttaranchal Finance Section-3

No. 640/Fin.Sec.-3/2002 Dated Dehradun, December 18, 2002

Office Memorandum

Subject: Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo no. 414/Vitta.Anu-3/2002, dated May 29, 2002 on the subject mentioned above sanctioning on instalment of Dearness Relief with effect from January 01, 2002 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of Dearness Relief admissible to all Civil/Family Pensioners of this Government to Compensate them for the rise in the cost of living beyond average Consumer Price Index 306.33 (as on 01-01-1996) at the rate of 3% (Three Per cent) with effect from January 01, 2002 in supersession of the rates mentioned in the O.M., dated 29-05-2002 referred to above accordingly the rate of Dearness Relief of Pension/Family Pension w.e.f. 01-07-2002 has risen to 52%.

- Payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.
- 3. These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of Local Bodies and Public undertakings/Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.
- 4. These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family pension is at par with the pensioners of the State Government.
- 5. As per orders issued in O.M.no. A-1-252/X-10(3)-81, dated April 07, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying Authorities/Public Sector Banks.

6—मंहगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

वाड़ा से,

इन्दु कुमार पाण्डे, प्रमुख सचिव। Other terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

By Order,

INDU KUMAR PANDE,

Principal Secretary.

संख्या ६४० / वि०अन्०-३ / २००२, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- 1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 2-समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
- 3-क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल मण्डल/कुमायूं मण्डल।
- 4—निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल।
- 5—महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेराय मोटर बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6-समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।

क स्वरूपी क्रिक्ट के विकास कर कर है । अनुसार से,

एल0 एम0 पन्त, अपर सचिव। No. 640/Fin.Sec.-3/2002, the dated

Copy forwarded to following for information and necessary action :--

- All Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of Uttaranchal.
- 2. All Head of Departments/Offices, Uttaranchal.
- Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/Kumaon Division.
- Director, Treasury and Finance Services, Uttaranchal.
- Accountant General, Uttaranchal, Oberoy Motor Building, Saharanpur Road, Mazara, Dehradun alongwith 50 extra copies with the request that Account Officers of other States be also informed please.
- 6. All Treasury Officers, Uttaranchal.

is service that it serom area floring

By Order,

L. M. PANT,
Addl. Secretary.